न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 54/2017

1– किशनाराम पुत्र चन्द्राराम जाति बनबागरिया , निवासी रोजा , तहसील लाडनूँ , जिला नागौर, राजस्थान।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– उप तहसीलदार, निम्बी जोधा, तहसील लाडनूँ

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री समदर सिंह अधिवक्ता , अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार, निम्बीजोधा निर्णय दिनांक 30.05.2017

निर्णय

दिनांक– 06.04.18

अपीलान्ट की ओर से अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

1– यह है कि अपीलान्ट का खसरा नम्बर 252 के चिपता सरहद रोजा आबादी क्षैत्र में अवस्थित है तथा ग्राम आबादी के परिवार सदीो काल से पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं।

यह है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत, सरपंच के बहकावें में आकर मात्र गरीब व असहाय व्यक्ति अपीलान्ट जिन्होंने सरपंप ग्राम पंचायत

को बोट नही दिये थे, के विरूद्ध पटवारी हल्का से मिलकर अवैध रूप से अतिक्रमण बाबत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की है, जो उक्त खसरा नम्बर 252 में उप तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा निर्णय दिनांक 30.05.2017 को बिना किसी जॉच के बेदखली के व 30/– जुर्माना आरोपित करने का आदेश जारी कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न आधारों पर अपील पेश कर रहा है।

–: अपील के आधार :–

(1) यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट पूर्णतया गलत व एक तरफा होने के तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर भारी विधिक भूल की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने ख0नं0 252 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है।

(5) यह है कि उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपने परिवार सहित सदीन काल से पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे है, केवल मात्र सरपंच ग्राम पंचायत को वोट नहीं दिये जाने के कारण राजनैतिक द्वैषतावंश सरपंच द्वारा पटवारी हल्का को सरपंच के बहकावें आकर कार्यवाही की गई है इस तथ्य की ओर भी उप तहसीलदार साहब, निम्बी जोधा ने कोइ गौर नहीं किया, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

(6) यह है कि पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रिपोर्ट पेश की है, उक्त खसरा नम्बर 252 के पास आबादी बसी हुई है तथा उक्त आबादी क्षैत्र जिसमें लगभग ग्राम रोजा के सैकड़ों लोग आबाद है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अवलोकन किये भारी विधिक भूल की है, जिससे अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त आबादी में अपीलांट के मकान बनें हुऐ है।

(7) यह है कि अपीलान्ट धुमन्तु समाज का व्यक्ति है तथा अपीलान्ट ने समाज की परम्परा को तोड़ते हुये एक जगह स्थायी रूप से करीब 30–35 वर्षों से ग्राम रोजा में पक्के मकानात बनाकर निवास कर रहा है तथा एक तरफ तो राज्य सरकार धुमंतु जातियों को स्थायी रूप से एक जगह निवास/आवास करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है।, दुसरी ओर पटवारी हल्का, नायब तहसीलदार, निम्बीजोधा अपीनलान्ट को उसके खुन पसीने से बनाये हुये पक्के निर्माण से उसे बेदखल कर रहे है।, जिससे भी यह अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योगय है।

(8) यह है कि अपीलान्ट उपरोक्त भूमि पर पक्का आवास निवास बनाकर करीब 30–35 वर्षो से काबिज है, जिससे उपरोक्त 91 की कार्यवाही मयाद बाहर होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह है कि उजराज वर वक्त बहस अर्ज किये जावे।

3. यह है कि अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्अ की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.05.2017 को अपास्त की जावे।

यह अपील अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री समदर सिंह द्वारा पेश की गयी। जो दिनांक 29.6.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिनस्थ न्यायाल का रिकोर्ड व नोटिस तामिल होकर दिनांक 19.7.2017 को प्राप्त हुवे जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओ को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का ढिगसरी की रिपोर्ट अनुसार मौजा रोजा के ख0नं0 252 रकबा 16 बिस्वा किस्म गै0मु0 अंगोर पर प्रार्थी किशनाराम पुत्र चन्द्राराम जाति बनबागरिया ने बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण करने के लिए उप तहसीलदार निम्बी जोधा ने प्रकरण संख्या 01/17 दर्ज कर प्रार्थी किशनाराम पुत्र चन्द्राराम को अतिक्रमी घोषित किया जाकर निर्णय दिनांक 30.05.2017 द्वारा अतिक्रमी किशनाराम को भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 0.16 बीघा किस्म गै0मु0 अंगौर से भौतिक रूप से बेदखल कर अर्थदण्ड 30/– रूपये से आरोपित किया गया।

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में बताया है कि अतिक्रमी ने गे0मु0अंगोर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिसे आवंटन अथवा नियमन करने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध है। किशना राम के नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट में बताया कि किशना राम से मोबाईल पर वार्ता कर उसकी माता से तामिल करवाई है। तथा किशना राम स्वय अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। तथा प्रार्थी किशनाराम ने जवाब पेश किया जो दिनांक 27.3.17की आदेशिका पर उपलब्ध है। पटवारी हल्का ढिगंसरी ने अपने ब्यान में बताया है कि किशनाराम पुत्र चन्द्राराम जाति बनबावरिया निवासी रोजा का ख0नं0 252 रकबा 71.13 बीघा किस्म गै0मु0 अंगोर में से 16 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण है जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित भूमि है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है।

:::: आ दे श ::::

उपर्युक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुवे अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2017 यथावत रखा जाता है।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला
कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 06.04.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला
कलक्टर
डीडवाना (नागौर)